बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

गाँव-घर, खेत-खलिहान का समग्र विकास, सहकारिता के साथ

वार्षिक प्रतिवेदन

2013-14

किरासन तेल-भंडार

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

गाँव-घर, खेत-खलिहान का समग्र विकास, सहकारिता के साथ

वार्षिक प्रतिवेदन

2013-2014

माननीय मंत्री सहकारिता

संदेश

सहकारिता विभाग का वर्ष 2013–14 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

सहकारिता के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद की भंडारण की व्यवस्था, कृषकों को उनके उत्पाद का उचित सरकारी समर्थन मूल्य प्राप्त कराना, फसलों की क्षति के होने पर फसल बीमा के माध्यम से क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के साथ–साथ सहकारी समितियों में पूर्ण प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान कर आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। इस क्रम में पैक्सों को सुदृढ़ करते हुए इसे ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने का सफल प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में द्वितीय हरित क्रान्ति की सम्भावनाओं को फलीभूत करने तथा हरित क्रान्ति को व्यापकता प्रदान कर सप्तरंगी क्रान्ति में तब्दील करने हेतु तैयार महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप अन्तर्गत सहकारिता द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य सम्बर्द्धन हेतु वायोमास गैसीफायर आधारित चावल मिल की स्थापना, समान विकास–सह–विपणन आदि के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

वर्ष 2013 सहकारिता आंदोलन के लिए राज्य में हमेशा याद किया जाएगा, जिसमें बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 में कतिपय संशोधन कर सहकारी समितियों के प्रबंधन में पंचायत की भाँति महिलाओं को आरक्षण दिया गया।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निबंधित समितियों में भी महत्त्वपूर्ण संशोधन वर्ष 2013 में किया गया, जिसके आलोक में उनकी प्रबंधकारिणी का निर्वाचन अब स्वंतत्र एवं पारदर्शी ढंग से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार करा रहा है।

राज्य के विभाजन के पश्चात् बदले हुए परिदृष्य में लघु एवं सीमांत कृषकों, बटाईदार कृषकों, भूमिहीन मजदूरों एवं छोटे–छोटे कामगारो में अपेक्षित सुधार लाने में राज्य की सहकारी संस्थायें पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रही है।

आशा है कि सहकारिता राज्य के विकास का एक नया आयाम बनेगा।

जय किसान! जय जवान! जय विज्ञान! जय सहकारिता।

जय हिन्द

(जय कुमार सिंह)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1 - 3
2	विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ	4 - 5
3	योजनायें एवं उपलब्धियाँ	
	i. समेकित सहकारी विकास परियाजना	6 - 8
	ii फसल बीमा योजना	
	(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	
	(ख) मौसम आधारित फसल बीमा योजना	09
	(ग) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	10
	iii राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	10 - 11
	iv अधिप्राप्ति	11 - 12
	v वार्षिक योजना	12
4	सहकारी कृषि साख एवं उपलब्धियाँ	
	I अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)	13 - 14
	i. राज्य सहकारी बैंक लि॰	14 - 15
	ii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰	15 - 16
	iii. प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)	16
	II प्रोफेसर बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओ पर आधारित पुनरोद्धार योजना	17
5	सुशासन के कार्यक्रम	18 - 21
6	सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण	22 - 23
7	महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान	
	i. बिहार राज्य सहकारी क्रय–बिक्रय संघ लि॰ (बिस्कोमान)	24
	ii. बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰	24 - 25
	iii. बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि॰	25
	iv. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार	25 - 26
	v प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	26
	vi. व्यापार मंडल	26
8	बिहार राज्य भंडार निगम	27 - 29
परिशिष्ठ– I	विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ	30
परिशिष्ठ– II	राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	31
परिशिष्ठ– III	विभिन्न योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन	32 - 33
परिशिष्ठ– IV	विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	34
परिशिष्ठ– V	सहकारिता विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय	35 - 36

1. प्रस्तावना

सहकारिता विभाग का वर्ष 2013–14 का वार्षिक प्रतिवेदन बिहार सरकार के ''न्याय के साथ समग्र विकास'' की अवधारणा के सह–प्रयास के रूप में आपके समक्ष उपस्थापित है। राज्य के सहकारी आन्दोलन का इतिहास बहुत ही गौरवमयी है। आर्थिक जगत में सहकारी अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था एवं सरकारी अर्थव्यवस्था के बीच मध्यम मार्ग है। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं कठिन प्रतिस्पर्धा में विकसित होने के लिए सहकारी समितियों को गरीबों के कॉरपोरेट के रूप में ढ़ालना आवश्यक प्रतीत होता है। इस कड़ी में समाज के पिछड़े तबकों, अल्पसंख्यकों, छोटे उत्पादकों एवं महिलाओं के समुह को प्रोत्साहित, संरक्षित एवं महिलाओं के सदस्यों को प्रोत्साहित एवं विकसित करने हेतु वर्त्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के विभाजन के पश्चात् विकास का एक मात्र सबल आधार कृषि है और कृषि सहकारिता के लिए अनुप्राणित होती है। सहकारिता विभाग राज्य के किसानों के हित में राज्य सरकार के कृषि रोड मैप का हमसफर बन कर कृषि विकास के लिए तत्पर है। वर्त्तमान के सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिवेश में सहकारिता को प्रासंगिक एवं सबल बनाने हेतु सरकार सदैव प्रयत्नशील है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबल आघार ग्रामीण क्षेत्र ही है तथा इसकी उपेक्षा कर एक सशक्त भारत के निर्माण की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहकारिता की अहम भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा बदले हुए माहौल में सहकारी नीतियों में आमूल–चूल परिवर्त्तन लाया गया है। सहकारिता को और अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु अनेक संस्थागत सुधार किये गये हैं। साथ ही, सहकारी समितियों के कार्यकलापों को और पारदर्शी बनाने हेतु बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 में आवश्यक संशोधन किये गये हैं।

वर्ष 2012 सहकारिता आन्दोलन के लिए एक एतिहासिक एवं क्रान्तिकारी वर्ष के रूप में दर्ज है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। इस राज्य में भी अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया गया एवं इसके अन्तर्गत पैक्सों में विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया है। सहकारी समितियों के खाली पड़े जमीन पर वृक्षारोपन के साथ–साथ राष्ट्रीय सहकारी महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिए सहकारी संस्थाओं में पोस्टर–बैनर इत्यादि लगाया गया।

वर्ष 2013 सहकारिता आंदोलन के लिए राज्य में हमेशा याद किया जाएगा, जिसमें बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 में कतिपय संशोधन कर सहकारी समितियों के प्रबंधन में पंचायत की भाँति महिलाओं को आरक्षण दिया गया।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निबंधित समितियों में भी महत्त्वपूर्ण संशोधन वर्ष 2013 में किया गया, जिसके आलोक में उनकी प्रबंधकारिणी का निर्वाचन अब स्वंतत्र एवं पारदर्शी ढंग से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार करा रहा है।

बिहार की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करने के लिए विगत वर्षों में जिन कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गयी है वे निम्नवत हैं :–

- प्रोफेसर बैद्यनाथन कमिटि के अनुशंसाओं एवं वैश्विक उदारीकरण द्वारा बदले हुए परिवेश में सहकारी नीतियों में आमूल–चूल परिवर्त्तन
- बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2011 का अधिनियमन– इसके अन्तर्गत बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत् निबंधित सभी प्रकार की सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराने हेतु बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन।
- पैक्सों को व्यापाक जनाधार वाली संस्था के रूप में विकसित करने हेतु सदस्यता वृद्धि अभियान। इस अभियान के अन्तर्गत पंचायत के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सदस्य बनाने का प्रयास। वंचित वर्गों

की भागीदारी के लिए सरकार में कानून बनाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए प्रबंधन/निदेशक मंडल में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

- व्यापार मंडल, मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुनर्गठन के पश्चात् बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल।
- बिहार राज्य सहकारी बैंक, बिस्कोमान, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, बुनकर सहकारी समितियों में भी निर्वाचन प्राधिकार से निर्वाचन करा कर प्रजातांत्रिक प्रबंधन की बहाली।
- मौसम आधारित फसलबीमा योजना से खरीफ 2013 में राज्य के 38 जिले एवं मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से राज्य के 7 जिले आच्छादित।
- राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पादों का सरकारी समर्थन मूल्य दिलाने हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2013 में पैक्सों द्वारा 24 लाख मे॰टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2013–14 के लिए 11.15 लाख मे॰टन अधिप्राप्ति की गई।
- पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत रब्बी 2012–13 में 16,37,202 कृषकों का 4220.24 करोड़ रू॰ का फसल बीमित किया गया है एवं खरीफ 2013 में 14,13,827 कृषकों को 550.92 करोड़ रू॰ का क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया है। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रब्बी 2011–12 एवं खरीफ 2012 मौसम में क्रमशः 2986 एवं 51019 कृषकों को 1.72 करोड़ रू॰ एवं 47.10 करोड़ रू॰ का क्षतिपूर्ति भुगतान।
- भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु बिहार राज्य भण्डार निगम के द्वारा वर्ष 2013–14 में कुल 15 गोदाम के निर्माण हेतु 16.80 करोड़ रू॰ सम्बन्धित समितियों को उपलब्ध करा दिया गया है। 07 में निमार्ण कार्य प्रारम्भ है। शेष 08 में कार्यादेश प्रक्रिया में है।
- वर्ष 2013–14 में कृषि रोड मैप अन्तर्गत भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु कुल 1752 पैक्स एवं व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण करने की योजना के तहत् 136.35 करोड़ रू॰ की राशि उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें से मार्च, 2014 तक कुल 1721 समितियों में गोदाम निर्माण का कार्य पूरा करा लिया गया है, जिसमें 3.88 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता का निर्माण हो सकेगा।
- वर्ष 2013–14 में कृषि रोड मैप अन्तर्गत 129 पैक्सों एवं 20 व्यापार मंड़लों में गैसीफायर –सह– चावल मिल स्थापित करने हेतु चयनित कर 38.68 लाख रू॰ उपलब्ध कराया गया है। मार्च, 2013–14 तक 153 पैक्सों/व्यापार मंडलों में (आई0सी0डी0पी0 सहित निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है एवं 102 निर्माणाधीन हैं।
- वर्ष 2013–14 में पैक्सों को सामान्य व्यवसाय विकास विशेषतः उर्वरक भंडारण हेतु कृषि रोड मैप अन्तर्गत 1262 पैक्सों को प्रति पैक्स 2.00 लाख रू॰ की दर से कुल 25.24 करोड़ रू॰ स्वीकृत करते हुए राशि उपलब्ध करा दी गई है।
- राज्य के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है एवं सभी सहकारी बैंको को Core Banking Solution (CBS) के अंतर्गत कार्य संचालित किया जा रहा है। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना यथा पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक के पुनर्जीवन हेतु भारत सरकार द्वारा गठित बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसा पर आधारित पुनरोद्धार पैकेज का क्रियान्वयन किया गया, जिसके अंतर्गत इन संस्थाओं के दिनांक 31.03.04 की तिथि पर संचित हानि की भरपाई किया गया। साथ ही, इन संस्थाओं के संस्थागत एवं विधिगत सुधार किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन की अवधि 30.06.11 तक विस्तारित थी।
  इस पैकेज के क्रियान्वयन के फलस्वरूप इन संस्थाओं की दिनांक 31.03.04 तक की कुल संचित हानि 843.53 करोड़ की स्वीकृति SLIC द्वारा की गई है, जिसमें भारत सरकार, बिहार सरकार एवं संबंधित

संस्था का हिस्सा क्रमशः 634.48 करोड़, 46.37 करोड़ एवं 162.68 करोड़ है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि कुल 46.37 करोड़ में से कुल 45.20 करोड़ (अपुनरीक्षित दावा) का भुगतान किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि मो0 634.68 करोड़ में से कुल 265.06 का भुगतान किया गया है। शेष राशि कुल 369.42 करोड़ भारत सरकार से पावना है।

- राज्य के कृषि रोड मैप 2012–17 के अन्तर्गत कृषि के समग्र विकास एवं राज्य में द्वितीय हरित क्रान्ति की संभावनाओं को फलीभूत करने तथा हरित क्रान्ति को व्यापक्ता प्रदान कर सप्तरंगी क्रान्ति में तब्दील करने हेतु तैयार महत्वाकांक्षी योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के प्राप्ति में सहकारिता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अन्तर्गत पैक्सों/व्यापार मंडलों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु पैक्सों में भंडारण क्षमता के अभिवृद्धि के लिए नये गोदामों का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण एवं मुल्य संबर्धन हेतु वायोमास गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना, सामान्य व्यवसाय विकास –सह– विपणन आदि के लिए पैक्सों/व्यापार मंडलों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना आदि की व्यवस्था की जा रही है।
- समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत पैक्सों/व्यापार मंडलों के आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत गोदाम निर्माण कराये जा रहे हैं। परियोजनान्तर्गत रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों यथा मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के विकास, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना एवं चयनित समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विस्तार तथा पणन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन कार्यो के लिए आधारभूत संरचना के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के साथ–साथ समितियों में व्यवसाय विकास के लिए मार्जिन मनी के रूप में सहायता देने का प्रावधान है। मानव संसाधन के विकास हेतु गहन प्रशिक्षण भी दिया ज़ा रहा है। वर्त्तमान में राज्य के 5 जिलों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। तीन जिले स्वीकृत हैं, जो कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं तथा 17 जिले इस योजना से आच्छादन की प्रक्रिया में है।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा वर्ष 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किए जाने के कारण इस राज्य में भी वर्ष 2012 अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया है। इसके अन्तर्गत पैक्सों में विशेष सदस्यता अभियान, समितियों के खाली जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला सहकारी सम्मेलन, सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण एवं इसके शाखाओं को कोर बैंकिंग से जोड़ने की कार्रवाई की गई। सभी सहकारी संस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 के उपलक्ष्य में बैनर इत्यादि लगाकर इसका प्रचार–प्रसार किया गया।

2. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ :-

क्र॰सं॰	योजना	लाभन्वितों की संख्या	उपलब्धि
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना		
	(क) खरीफ 2010 मौसम	395144 कृषक	273.25 करोड़ रू॰ क्षतिपूर्ति भुगतान
	(ख) खरीफ 2011 मौसम	332669 कृषक	836.34 करोड़ रू॰ का फसल बीमित
	(ग) रब्बी 2011–12	4689 कृषक	14.47 करोड़ रू॰ का फसल बीमित
2	पायलट आधारित फसल बीमा योजना		
	(क) रब्बी 2011–12 मौसम	877541 कृषक	96.56 करोड़ रू॰ क्षतिपूर्ति भुगतान
	(ख) खरीफ 2013 मौसम	1413827 कृषक	550.92 करोड़ रू॰ क्षतिपूर्ति भुगतान
	(ग) रब्बी 2012–13 मौसम	1274347 कृषक	3469.20 करोड़ रू॰ का 334.52 करोड़ की क्षतिपूर्त्ति
3	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना		
	(क) रब्बी 2011–12 मौसम	40360 कृषक	107.98 करोड़ रू॰ का फसल बीमित
	(ख) खरीफ 2012 मौसम	344729 कृषक	852.15 करोड़ रू॰ का फसल बीमित
4	अधिप्राप्ति		
	(क) खरीफ 2012–13 मौसम (धान)	6841 पैक्सों द्वारा	15.85 लाख मे॰टन
	(ख) खरीफ 2013–14 मौसम (धान)	5605 पैक्सों द्वारा	11.15 लाख मे॰टन
5	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राज्य योजना		
	(क) वर्ष 2013–14 में पैक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण हेतु	लक्ष्य (राज्य योजना) 1752	उपलब्धि (राज्य योजना, **RKVY** एवं **ICDP**) 1721 (पूर्ण) 924 (निर्माणाधीन)
	(ख) वर्ष 2013–14 में पैक्स/व्यापार मंडल में गैसीफायर–सह–चावल मिल की स्थापना हेतु	149	153 (पूर्ण) 102 (निर्माणाधीन)
6	कृषि रोड मैप		
	(क) वर्ष 2013–14 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य – 1752	136.3543 करोड़ रू॰ स्वीकृत
	(ख) वर्ष 2013–14 में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना	129 पैक्स एवं 20 व्यापार मंडल चयनित	2664.00 लाख रू॰ स्वीकृत
	(ग) पैक्सो को सामान व्यवसाय विकास विशेषकर उर्वरक भंडारण हेतु	3000 पैक्सों के लिए मार्जिन मनी उपलब्ध कराना 1262 पैक्स को राशि उपलब्ध करायी गई है	25.24 करोड़ रू॰ विमुक्त
	(घ) वर्ष 2013–14 में बिहार राज्य भंडार निगम को 3.60 लाख मे॰टन क्षमता गोदाम निर्माण हेतु	––	16.80 करोड़ रू॰ उपलब्ध कराया गया
7	अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण		
	(क) 2013–14 खरीफ मौसम हेतु	95673 सदस्य	19089.66 लाख रू॰ वितरित
	(ख) 2013–14 रब्बी मौसम हेतु	60721 सदस्य	11672.00 लाख रू॰ वितरित
8	किसान क्रडिट कार्ड का वितरण	946452 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत	128821.25 लाख रू॰ स्वीकृत
9	समेकित सहकारी विकास परियोजना		
	(क) कार्यान्वित किये गये जिले	09 जिला	8013.22 लाख रू॰ की लागत से
	(ख) कार्यान्वित किये जा रहे जिले	08 जिला कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अररिया एवं मोतिहारी	25385.08 लाख रू॰ की लागत से
	(ग) जिला जो आच्छादन के प्रक्रिया में है।	17 जिला	

	(ग) जिला जो आच्छादन के प्रक्रिया में है।	17 जिला		
10	समेकित सहकारी विकास परियोजना का भौतिक उपलब्धि			
	(क) पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्यान्वित किये गये जिलों में	746		
	(ख) पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में	309		
	(ग) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण कार्यान्वित किये गये जिलों में	74		
	(घ) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में	20 का कार्यादेश निर्गत 02 पूर्ण		
	(ङ) परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षित सहकारी समितियों के पद धारक / सदस्य	कार्यान्वित जिले में 139399	कार्यान्वित की जा रही जिले में 3773	
11	समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक उपलब्धि (वर्ष 2013–14)	6289.47 लाख का व्यवसाय (30.04.14 तक)		
12	बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा पर आधारित पुनरोद्धार योजना			
	(क) अल्पकालीन साख सहकारी संस्थाओं हेतु कुल स्वीकृत पैकेज	8448 पैक्स 22 केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु		843.57 करोड़ रू० का पैकेज
	(ख) स्वीकृत पैकेज में राज्य सरकार की हिस्सेदारी	पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु		46.38 करोड़ रू० कुल प्रस्तावित 45.70 करोड़ रू० विमुक्त
	(ग) स्वीकृत पैकेज में भारत सरकार की हिस्सेदारी	पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु		634.56 करोड़ रू० कुल प्रस्तावित 265.05 करोड़ रू० विमुक्त
	(घ) स्वीकृत पैकेज में अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी	पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु		162.63 करोड़ रू०

3- योजनायें एवं उपलब्धियाँ :-

i- समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य के सहकारी क्षेत्रों को ढाँचागत सुविधा उपलब्ध कराने तथा सहकारिता को सबल बनाने के उद्देश्य से यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से चलायी जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों/व्यापार मंडलों में अधिसंरचना निर्माण (गोदाम –सह– कार्यालय), व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना है। साथ ही मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुकुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि का भी विकास करना है। इस योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को ऋण एवं अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का अनुपात करीब 25 प्रतिशत है। यह राशि निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति (Re-imbursement) के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। स्थापना आदि खर्च के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि में निगम एवं राज्य सरकार का अनुपात 50–50 का है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिसके प्रमुख राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी हैं। जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक साख, विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के निमित राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष उस जिला, जहाँ यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, के जिला पदाधिकारी होते हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु कर्मचारियो की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक चयन समिति भी गठित है।

इस परियोजना के तहत् राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण प्राप्त कर पैक्सों को ऋण, हिस्सा पूंजी एवं अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम बनवाये जा रहे हैं। परियोजना के उद्देश्यों में कृषि विकास के लिए पैक्सों/व्यापार मंडलों को सुदृढ़ करने के साथ–साथ रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम यथा मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के विकास, परिसंस्करण इकाई की स्थापना एवं समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विकास तथा पणन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान हो जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

कार्यान्वित किये जा रहे परियोजना की प्रगति निम्नवत्–है

1. परियोजना लागत एवं व्यय

(राशि लाख रु॰ में)

क्रम	जिला का नाम	ऋण / चक्रीय पूंजी	हिस्सा पूंजी / एल॰डी॰ / यू॰डी॰ के अतिरिक्त	अनुदान	कुल योग	कुल व्यय 31.03.2014 तक	कुल व्यय 2014–15 (अप्रैल 14 तक)	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कैमूर	756.660	34.830	307.110	1,098.600	800.450	-	800.450
2	खगड़िया	1,055.250	68.490	448.110	1,571.850	652.020	-	652.020
3	शिवहर	698.800	131.280	345.270	1,175.350	617.064	5.773	622.837
4	वैशाली	2,664.690	334.125	1,217.935	4,216.750	1,802.400	83.010	1,885.410
5	नालंदा	2,070.512	293.950	916.758	3,281.220	1,300.350	15.000	1,315.350
6	जहानाबाद	605.075	415.845	431.310	1,452.230	58.750	-	58.750
7	अररिया	1,572.550	826.525	1,140.275	3,539.350	1.750	-	1.750
8	मोतिहारी	4,157.350	2,316.920	2,417.460	8,891.730	1.750	-	1.750
9	रा॰अनु॰को॰	-	-	158.000	158.000	86.840	2.560	89.400
कुल योग :		**13,580.887**	**4,421.965**	**7,382.228**	**25,385.080**	**5,321.374**	**106.343**	**5,427.717**

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण			व्यापार मंडल का गोदाम निर्माण		
		गोदाम निर्माण का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ / पूर्ण	गोदाम निर्माण / मरम्मति का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ / पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कैमूर	71	71	71 / 55	4	3	3 / 1
2	खगड़िया	85	64	64 / 45	7	2	2 / 0
3	शिवहर	40	40	40 / 37	5	0	0 / 0
4	वैशाली	172	155	155 / 86	14	10	8 / 1
5	नालंदा	108	102	102 / 86	10	5	5 / 0
6	जहानाबाद	13	13	13 / 00	3	0	0 / 0
7	अररिया	52	0	00 / 00	3	0	0 / 0
8	मोतिहारी	115	0	00 / 00	9	0	0 / 0
कुल योग :		**656**	**445**	**445 / 309**	**55**	**20**	**18 / 2**

3. व्यवसाय विकास

(राशि लाख रु॰ में)

क्रम	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2013–14 (मार्च 14 तक)	वर्ष 2014–15 (अप्रैल 14 तक)
1	2	3	4
1	कृषि (खाद एवं बीज)	3,462.09	110.39
2	अधिप्राप्ति	12,214.76	6,028.04
3	उपभोक्ता व्यवसाय	954.79	85.69
4	जमा वृद्धि	1,458.81	50.35
5	उपभोक्ता ऋण	197.04	15.00
	कुल योग :	**18,287.49**	**6,289.47**

4. प्रशिक्षण

क्रम	प्रशिक्षण	वर्ष 2014–15 (अप्रैल 14 तक)
1	2	3
1	प्रबंधक	214
2	अध्यक्ष	589
3	कार्यकारिणी सदस्य	428
4	सामान्य सदस्य	1781
5	सेल्समैन / अन्य	761
	कुल योग :	**3773**

अन्य उपलब्धियाँ :- 18 समितियों में गैसीफायर आधारित चावल मिल की स्थापना, 12 समितियों में चावल मिल की स्थापना, 4 समितियों में ग्रामीण विधुतीकरण हेतु गैसीफायर की स्थापना, 30 समितियों में कम्पोजिट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, 30 समितियों में एग्री क्लिनीक की स्थापना, 22 समितियों में वर्मी कम्पोस्ट ईकाई की स्थापना, 13 समितियों में सिंचाई हेतु बोर–बेल की स्थापना, 15 समितियों को मत्स्य पालन हेतु आर्थिक सहायता, 26 महिला सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता, 42 बुनकर समितियों को आर्थिक सहायता, 5 दाल मिल की स्थापना, 49 समितियों में मुर्गी पालन ईकाई की स्थापना, 3 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता, 3 समितियों को बकरी पालन हेतु आर्थिक सहायता, झंझारपुर व्यापार मंडल में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, जमालहाता बुनकर सहयोग समिति, सीवान में गैसीफायर की स्थापना तथा आरा व्यापार मंडल, आरा में एल॰पी॰जी॰ गैस गोदाम की स्थापना।

आच्छादित किये जाने वाले जिलों के संबंध में प्रतिवेदन :-

01. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्वीकृति हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन **(DPR)** प्रेषित जिला – औरंगाबाद, दरभंगा, बेगुसराय, पूर्णियॉ एवं बेतिया।
02. सलाहाकार संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का मसौदा प्रतिवेदन समर्पित जिला – लखीसराय, अरवल, सहरसा एवं सुपौल।
03. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा परियोजना लागू करने हेतु स्वीकृत जिला – पटना, नवादा, जमुई, कटिहार, बांका, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर।
04. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को परियोजना स्वीकृति हेतु प्रेषित जिला – मुंगेर।
05. राज्य के शेष 4 जिलों यथा किशनगंज, मधेपुरा, समस्तीपुर एवं शेखपुरा को भी समेकित सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत आच्छादित करने की योजना है।

ii- फसल बीमा योजना :-

प्राकृतिक आपदाओं यथा–बाढ़, सुखाड़, तुषारापात तथा तापमान में परिवर्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला इत्यादि कारणों से फसल की क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल लगाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्तमान में राज्य में दो फसल बीमा योजना लागू है –

(क) मौसम आधारित फसल बीमा योजना **(WBCIS)** – यह योजना रब्बी 2007–08 मौसम से राज्य में लागू है। खरीफ–2012, खरीफ–2013 एवं खरीफ–2014 मौसम में राज्य के 31 जिले इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये गये हैं। रब्बी 2012–13 एवं रब्बी 2013–14 मौसम में राज्य के सभी 38 जिले इस योजना से आच्छादित हैं। इस योजना के तहत तापमान में परिवर्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला आदि कारणों से फसल की क्षति होने पर क्षति के आकलन का प्रावधान है।

योजना की मुख्य विशेषतायें –

- इस योजना में राज्य एवं केन्द्र सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक ही सीमित है।
- क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी को ही वहन करना है।
- इस योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी पूर्व में एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना थी। परन्तु रब्बी 2009–10 मौसम से उक्त कंपनी के अतिरिक्त आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰, लोम्बार्ड को भी बीमा कार्य हेतु अधिकृत किया गया एवं रब्बी 2011–12 मौसम से उपर्युक्त दोनों बीमा कंपनी के अतिरिक्त इफको टोकियो, एच॰डी॰एफ॰सी॰इरगो तथा चोला मंडलम बीमा कंपनियों को भी बीमा हेतु प्राधिकृत किया गया है। खरीफ 2013 एवं रब्बी 2013–14 मौसम में आठ तथा खरीफ 2014 मौसम में सात बीमा कंपनियाँ प्राधिकृत है।

मौसम आधारित फसल बीमा की प्रगति निम्नवत है :– (राशि करोड़ रु॰ में)

मौसम	वर्ष	कुल बीमित कृषकों की संख्या	कुल बीमित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या	क्षतिपूर्ति की राशि
1	2	3	4	5	6
खरीफ	2008	78110	173.31	37435	4.87
	2009	396684	937.00	309908	51.96
	2010	408823	513.62	408559	88.99
	2011	450945	1068.75	269718	36.60
	2012	1219689	2912.48	922740	155.52
	2013	1433798	3324.98	1413827	550.92
रब्बी	2007–08	16158	27.73	10510	1.70
	2008–09	137544	320.52	96940	21.64
	2009–10	468514	913.08	329405	67.99
	2010–11	1264084	1902.09	983447	92.22
	2011–12	1274347	3469.20	877541	96.56
	2012–13	1637202	4220.24	1584740	334.52

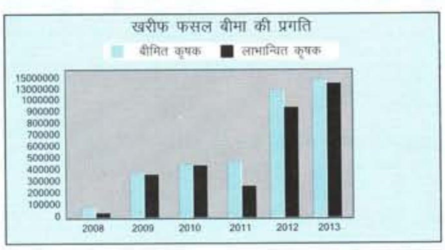

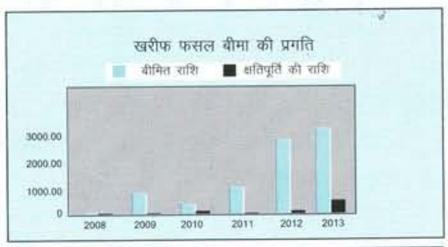

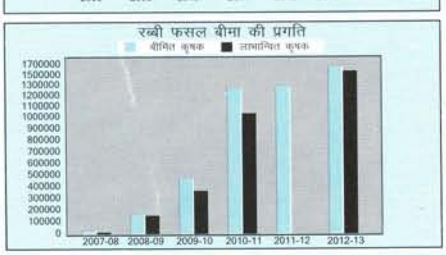

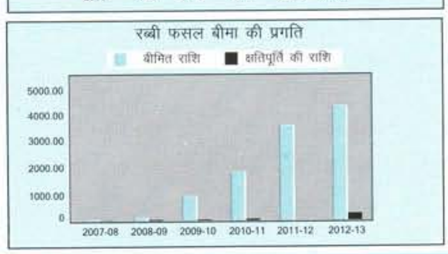

(ख) संशोधित (मोडिफायड) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) :–

यह योजना रब्बी 2010–11 मौसम में राज्य के तीन जिले मुंगेर, जमुई एवं शिवहर में लागू किया गया था। अब यह योजना खरीफ 2012 मौसम से राज्य के 7 जिले यथा दरभंगा, मोतिहारी, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी में लागू किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी पूर्व में एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना थी। खरीफ–2012 मौसम से उक्त बीमा कंपनी के अतिरिक्त अन्य बीमा कंपनियाँ भी प्राधिकृत की जाती हैं। वित्तीय भार के मामले में राज्य सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक ही सीमित है। क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी को ही करना है। प्रीमियम अनुदान की राशि में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान 50:50 के अनुपात में है। यह योजना रब्बी 2012–13 एवं 2013–14 मौसमों में लागू नहीं किया गया है। खरीफ–2013 एवं खरीफ–2014 मौसम में भी यह योजना राज्य के उक्त सात जिलों में संचालित है।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की प्रगति निम्नवत् है :– (राशि करोड़ रू॰ में)

मौसम	वर्ष	कुल बीमित कृषकों की संख्या	कुल बीमित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या	क्षतिपूर्ति की राशि
1	2	3	4	5	6
खरीफ	2011	40127	97.29	2036	4.41
	2012	344729	852.15	51019	47.10
रब्बी	2010–11	37123	100.30	5133	3.22
	2011–12	40360	107.98	2986	1.72

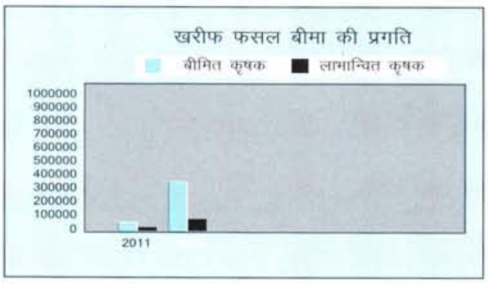

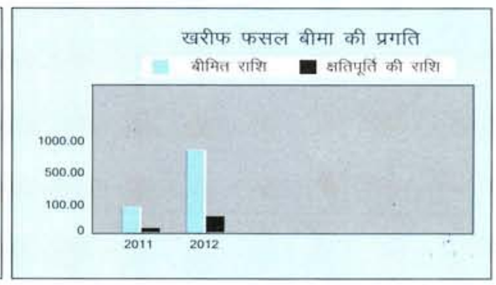

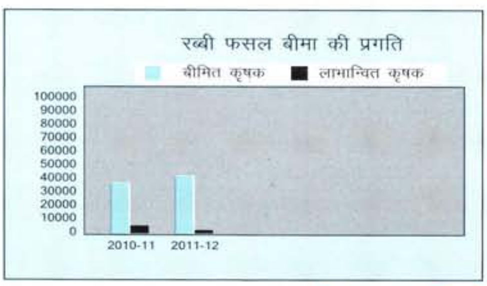

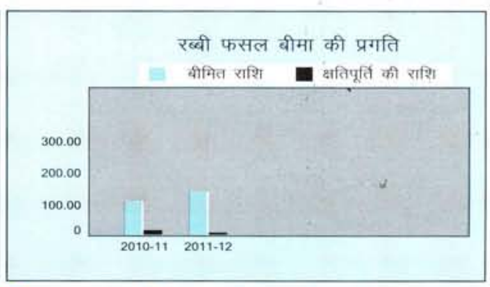

iii- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारम्भ वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय विकास परिषद की दिनांक 29.05. 2007 की सम्पन्न बैठक के निर्णय के आलोक में इस राज्य में भी किया गया है। इस योजना के तहत् सहकारिता प्रक्षेत्र के अन्तर्गत कृषि उत्पाद के संचयन में अभिवृद्धि के निमित गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। गोदाम निर्माण के साथ–साथ ग्रामीण विद्युतीकरण में पैक्सों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं पैक्सों को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पैक्सों/व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित किये जा रहे हैं। इस योजना से राज्य के खाद्यान्न, उर्वरक एवं अन्य कृषि उत्पाद हेतु भंडारण क्षमता में वृद्धि के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उर्जा का स्त्रोत उपलब्ध होगा एवं पैक्सों को उद्योग के रूप में विकसित होने का अवसर प्राप्त होगा। इससे राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों को उनके कृषि उत्पाद के वैज्ञानिक भंडारण का लाभ मिलेगा।

इस योजना की अबतक की उपलब्धि निम्नवत् है :–

- इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 1929.30 लाख एवं 2008–09 में 374.00 लाख रू॰ बिहार राज्य भंडार निगम को उपलब्ध कराते हुए 40 हजार मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया गया है तथा 10000

मे॰टन का अर्द्ध निर्मित गोदाम को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2012–13 में 326.00 लाख रू॰ उपलब्ध करा दिया गया है।

- वर्ष 2012–13 में राज्य योजनान्तर्गत 997 पैक्स / व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, जिससे कुल 3.03 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाना था। इसके विरूद्ध वर्ष 2012–13 में कुल 123 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा किया जा सका, शेष निर्माणाधीन है।
- वर्ष 2013–14 में 15 गोदाम के निर्माण हेतु भंडार निगम को 16.80 करोड़ रु॰ उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 07 में कार्य प्रारंभ है, जबकि 08 में कार्यादेश प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2013–14 में कुल 1752 पैक्स / व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध उक्त अवधि में कुल 1721 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है, जिससे पैक्स / व्यापार मंडल में कुल 3.88 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता का निर्माण हो सका है।

कृषि रोड मैप

- वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् कृषि रोड मैप के अन्तर्गत 129 पैक्सों एवं 20 व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु चयन कर 2664.00 लाख रू॰ स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत राशि क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध करा दी गई है।
- वर्ष 2013–14 में 3000 पैक्सों को सामान व्यवसाय विकास विशेष कर उर्वरक भंडारण हेतु प्रति पैक्स 2.00 लाख की दर से कुल 60.00 करोड़ रू॰ स्वीकृत किया गया है। 1262 पैक्सों का चयन कर क्रमिक रूप से 25.24 करोड़ रु॰ की राशि उपलब्ध करा दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2012–17 तक बिहार राज्य भंडार निगम के लिए 10.00 लाख मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में 15 स्थलों पर 4.00 लाख मे॰टन गोदाम क्षमता अभिवृद्धि किया जाना था, जो प्रक्रिया में है।

IV- अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पादों का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित समर्थन मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियाँ धान / गेंहू का क्रय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। वर्ष 2012–13 खरीफ मौसम में राज्य के प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) को 22.00 लाख मे॰टन धान क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध 15.85 लाख मे॰टन धान का क्रय पैक्सों द्वारा पूरा कर लिया गया है। उसी प्रकार रब्बी विपणन मौसम 2012–13 में 12.00 लाख मे॰टन गेंहू क्रय करने का लक्ष्य के विरूद्ध 4.15 लाख मे॰टन गेंहू का क्रय किया गया। पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य करने से एक ओर पैक्स के कृषक सदस्यों को उनके कृषि उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है वहीं दूसरी ओर पैक्सों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है।

खरीफ मौसम 2013–14 में राज्य के कृषकों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान क्रय करने की जिम्मेवारी सहकारी प्रक्षेत्र में पैक्सों को सौंपी गयी है। राज्य खाद्य निगम को नोड्ल एजेंसी बनाया गया है। खरीफ, 2013–14 में पैक्सों को 24.00 लाख मे॰टन धान क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध कुल 11.15 लाख मे॰टन धान की अधिप्राप्ति पैक्सों द्वारा की गई है। रब्बी विपणन मौसम 2013–14 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अपेक्षा बाजार मूल्य ज्यादा रहने के कारण गेहूँ की अधिप्राप्ति नहीं हो सकी।

विगत 5 वर्षों में धान / गेंहू अधिप्राप्ति की प्रगति निम्नवत् है :–

(मात्रा मे॰टन में)

वर्ष	धान		गेंहू	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009–10	325000.00	656000.00	475000.00	172571.00
2010–11	500000.00	813000.00	450000.00	90000.00
2011–12	1800000.00	1707017.74	555000.00	358000.61
2012–13	2200000.00	1585000.00	1200000.00	415373.90
2013–14	2400000.00	1115000.00	1200000.00	——

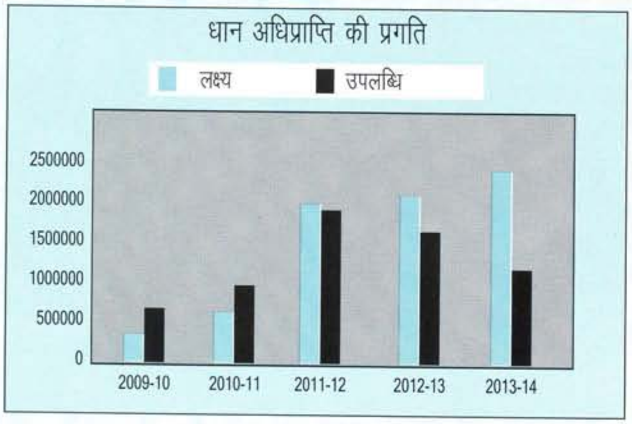

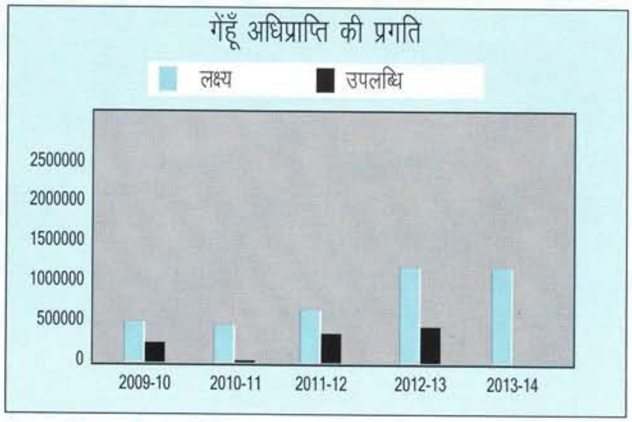

V- वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2013–14 के लिए राज्य योजना अन्तर्गत 41869.82 लाख रू० (पुनरीक्षित) एवं केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 5465.95 लाख रू० कुल 47335.77 लाख रू० का उपबंध स्वीकृत था जिसके विरूद्ध मार्च, 2013 तक राज्य योजनान्तर्गत 40988.56 लाख रू० एवं केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत 3251.25 लाख रू० कुल 44239.81 लाख रू० का व्यय किया गया।

वर्ष 2013–14 के लिए मदवार उपबधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	उपबंधित राशि			व्यय की गयी राशि
		राज्य योजना पुनरीक्षित	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (अनुदान)				
2	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्त्ति)				
3	पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम)	11383.00	–	11383.00	11383.00
4	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत प्रीमियम अनुदान	7500.00	–	7500.00	7500.00
5	समेकित सहकारी विकास परियोजना	230.88	5465.95	5696.83	3482.13
6	विभागीय पदाधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण	0.00	–	0.00	0.00
7	विभागीय कार्यों के लिए प्रचार–प्रसार	100.00	–	100.00	42.26
8	प्रशिक्षण संस्थान, पूसा के नवीकरण	0.00	–	0.00	0.00
9	गोदाम निर्माण एवं मरम्मति हेतु सहकारी समितियों	13635.43	–	13635.43	13635.43
10	अल्पकालीन साख सहकारी संरचना के सुदृढ़िकरण हेतु अनुदान	0.00	–	0.00	0.00
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3868.00	–	3868.00	3868.00
12	बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	1680.00	–	1680.00	1680.00
13	पैक्सों को मार्जिन मनी (ऋण)	2381.71	–	2381.71	1893.00
14	पैक्सों को मार्जिन मनी (अनुदान)	795.90	–	795.90	631.00
15	सहकारिता विभाग का आधुनिकीकरण	294.90	–	294.90	124.99
	कुल	41869.82	5465.95	47335.77	44239.81

4. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। खास कर बिहार विभाजन के पश्चात् खनिज पदार्थ की रोयाल्टी झारखंड राज्य में चले जाने के कारण इस राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। सहकारिता कृषि का प्राण है। कृषि पर निर्भर रहने वाले कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से भी है तथा सहकारिता विभाग इसमे सतत् प्रत्यनशील है।

i- अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराने के निमित सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ राज्य सरकार की गारंटी पर नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर एवं अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को निर्धारित माप दंड पर अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से 31.03.2014 तक 946452 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 128881.25 लाख रू॰ स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरूप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाया गया है।

विगत 5 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है :–

(रू॰ लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2009–10	99909.00	35252.73
2010–11	80700.00	42189.21
2011–12	361362.00	38684.72
2012–13	453882.00	23610.70
2013–14	160000.00	30761.66

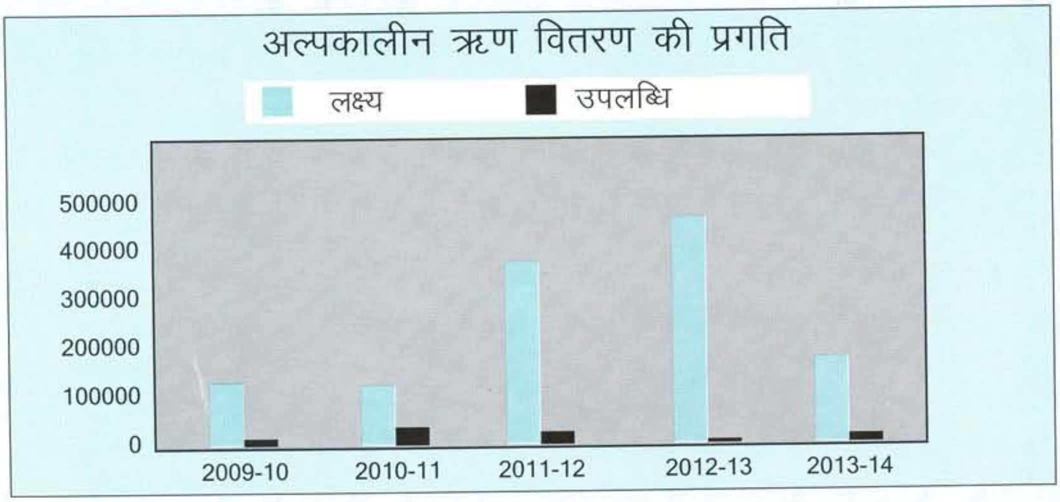

विगत 5 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण मांग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है :–

(रू॰ लाख में)

वर्ष	मांग	वसूली	प्रतिशत
2009–10	55101.77	27382.07	49.69
2010–11	50971.19	27126.87	53.22
2011–12	57881.90	23744.30	41.00
2012–13	59577.92	19491.37	32.71
2013–14	63747.23	23860.02	37.43

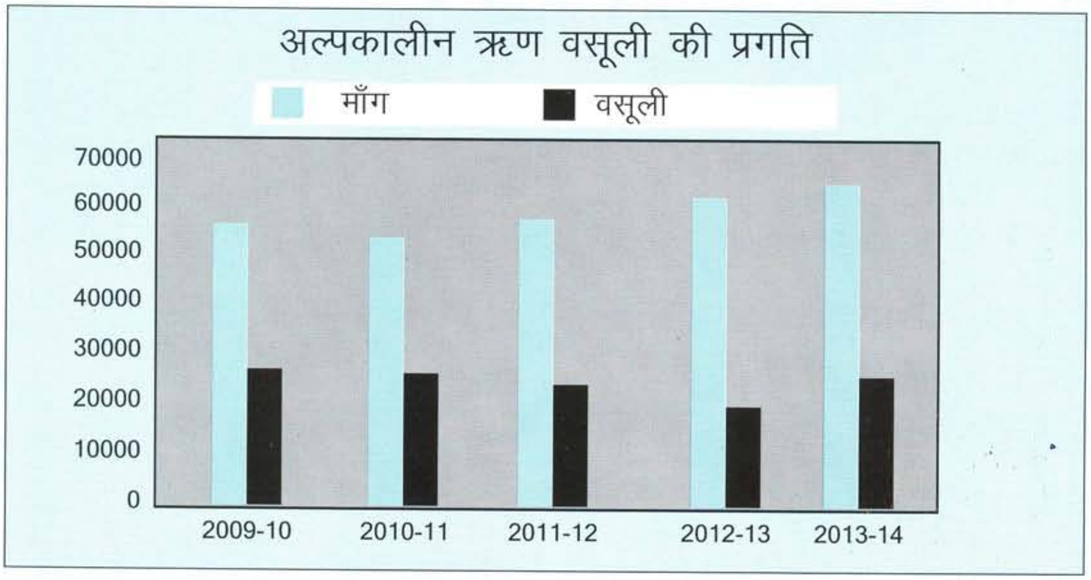

i- राज्य सहकारी बैंक लि॰

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनान्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक राज्य सरकार की गारंटी पर नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर एवं अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 16 शाखायें कार्यरत हैं जो सभी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ–साथ गैर कृषि यथा व्यैक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्त्तन आया है जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के लिए उनके साख जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ–साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके के लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखओ मे कोर बैंकिंग लागू है। बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में पुनरोद्धार योजनान्तर्गत राज्य सहकारी बैंक लि॰ के लिए भी 40.62 करोड़ का पैकेज स्वीकृत किया गया है।

विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :-

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰सं॰	विवरण	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
1	2	3	4	5	6
1	हिस्सा पूंजी	1881.08	1959.28	1959.28	2084.53
2	स्टेच्यूटरी रिजर्व	5415.42	5415.42	6244.86	6244.85
3	अन्य रिजर्व	12356.84	12495.78	14067.02	14067.02
4	ओन्ड फण्ड	40252.99	43147.86	49299.60	49424.76
5	जमा	150569.73	159724.48	186608.37	128640.55
6	उधार	11874.36	14919.74	84635.54	57118.27
7	कार्यशील पूंजी	223480.71	236526.33	320543.51	340308.38
8	निवेश	132406.72	96581.24	104563.85	103300.84
9	वकाया ऋण	64157.08	98327.75	170981.54	216195.33
10	अन डिस्ट्रीव्यूटेड प्रोफिट	0.00	2369.82	5355.17	5355.17
11	ग्रौस एन॰पी॰ए॰	18538.96	18451.34	17528.70	17528.70

ii- केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरख्ना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्त्ती वित्त पोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन शत् प्रतिशत कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन में सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होते हैं। राज्य में कुल 22 (बाईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इन 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 18 केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने श्रोत से भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम थे परन्तु 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ यथा पूर्णियाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। उन चारों केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के 6406.00 लाख रू॰ वित्तीय सहायता प्रदान कर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कराने हेतु सक्षम बनाया गया फलस्वरूप आज राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गया है। राज्य में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुरा परिसमापनाधीन है। इन जिलों में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने के निमित राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रहा है। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है उन जिलों मे केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। बैद्यनाथन कमिटी पुनरोद्धार पैकेज के तहत् स्वीकृत 360.79 करोड़ रूपये का पैकेज में से राज्य सरकार की हिस्सेदारी 18.24 करोड़ रू॰ में से 15.48 करोड़ रू॰ विमुक्त कर सम्बन्धित बैंको को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा उनके शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण का कार्य लगभग अन्तिम चरण में है। साथ ही सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू किया जा रहा है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :-

(रू॰ लाख में)

क्र॰सं॰	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	हिस्सा पूंजी	जमा राशि	सुरक्षित निधि	ऋण एवं अग्रिम	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7
1	नालंदा	463.37	11934.75	242.56	4280.94	135.87
2	पाटलीपुत्रा	553.14	23861.65	2401.85	4098.19	322.79
3	मगध (गया)	538.66	3780.48	578.00	3662.05	66.87
4	नवादा	713.53	3897.82	732.58	2660.46	362.68
5	आरा	448.21	23685.36	863.01	3796.31	148.61
6	रोहतास	500.00	7250.43	28.07	6532.91	163.32

7	भागलपुर	4.30	11.13	2.26	3.72	1.64
8	मुंगेर	319.32	6492.63	1889.94	6403.08	42.54
9	बेगूसराय	659.91	7302.99	170.28	5074.37	30.37
10	पूर्णियाँ	1084.84	4392.01	815.92	6928.46	161.48
11	मुजफ्फरपुर	1860.09	5504.19	345.34	3194.51	264.88
12	सीतामढ़ी	336.30	1001.30	253.00	3957.97	336.62
13	मधुबनी	1872.34	6772.81	238.13	5.32	45.76
14	बेतिया	581.37	8544.87	145.26	3991.19	155.64
15	मोतिहारी	1554.27	7794.34	1753.56	7602.57	108.85
16	सिवान	530.52	8025.06	465.81	1099.76	44.16
17	गोपालगंज	523.26	20417.90	342.15	6313.86	51.66
18	औरंगाबाद	1374.96	6696.84	2270.04	4140.31	525.53
19	खगड़िया	567.84	3428.04	79.80	4689.06	8.89
20	कटिहार	1294.86	2077.14	561.75	3222.44	355.83
21	वैशाली	5806.88	3316.24	66.44	1537.61	94.78
22	समस्तीपुर	628.07	5983.17	253.62	5085.89	270.86

iii- प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

अल्पकालीन साख संरचनान्तर्गत प्राथमिक स्तर पर राज्य के प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। पैक्सों में आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाता रहा है। पैक्सों में समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े/अतिपिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनके एक हिस्सा राशि एवं सदस्यता शुल्क का भी भुगतान किया गया है। पैक्सों के प्रबंधन में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण की भी व्यवस्था है। पैक्सों को ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु संस्थागत सुधार भी किये गये हैं। फलस्वरूप पैकसों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पैक्सों के माध्यम् से कृषकों को अल्पकालीन ऋण के साथ-साथ खाद, बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवायें आदि भी प्रदान किया जा रहा है। पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबुती प्रदान करने के उद्देश्य से जनवितरण प्रणाली के कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति भी प्रदान कराया गया है। पैक्सों के माध्यम से ही धान एवं गेंहू की अधिप्राप्ति की जा रही है जिससे कृषकों को उनके उत्पाद का सरकार द्वारा घोषित उचित समर्थन मूल्य तो प्राप्त हो ही रहा है साथ ही साथ पैक्सों को भी कृषकों के हितकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्था के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान हो रहा है। भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं यथा समेकित सहकारी विकास परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विक्रास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। लघु उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत चावल मिल गैसीफायर के साथ चावल मिल भी स्थापित किये जा रहे हैं। पैक्सों को सामान्य व्यवसाय विशेषकर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण हेतु कृषि रोड मैप अन्तर्गत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ पैक्स जमावृद्धि व्यवसाय में भी संलग्न है तथा अपने स्त्रोत से कृषकों को अल्पकालीन ऋण मुहैया कराने में सक्षम हो रहे हैं।

विगत 5 वर्षों का पैक्स का वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :-

(रू० लाख में)

वर्ष	पैक्स की संख्या	सदस्य संख्या (हजार में)	हिस्सा पूंजी	सुरक्षित निधि	जमा राशि	कार्यशील पूंजी
1	2	3	4	4	6	7
2009-10	8463	9637	9530.58	276.12	14044.21	49316.42
2010-11	8463	9765	9542.72	282.14	17532.91	49812.32
2011-12	8463	9972	9601.42	302.18	17431.35	50816.28
2012-13	8463	10010	9605.62	305.25	17842.58	51132.18
2013-14	8463	10563	9606.17	306.71	18272.78	51867.29

II- प्रो॰ बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरोद्धार योजना

राज्य में अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने एवं संस्थागत सुधार लाने हेतु बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसाओं के आलोक में भारत सरकार द्वारा तैयार पुनरोद्धार पैकेज के अन्तर्गत निम्नांकित कार्रवाई की गई है :–

- पुनरोद्धार पैकेज अन्तर्गत अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में पैक्सों हेतु 442.16 करोड़ रू॰, केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु 360.79 करोड़ रू॰ एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु 40.62 करोड़ रू॰ कुल 843.57 करोड़ रू॰ का पैकेज स्वीकृत।
- 843.57 करोड़ रू॰ का स्वीकृत पैकेज में राज्य सरकार की हिस्सेदारी पैक्सों हेतु 27.46 करोड़ रू॰, केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु 18.24 करोड़ रू॰ एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु 0.68 करोड़ रू॰ कुल 46.38 करोड़ रू॰ निर्धारित है। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा पैक्सों हेतु 27.45 करोड़ रू॰ एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक 15.48 करोड़ रू॰ कुल 42.43 करोड़ रू॰ विमुक्त कर उपलब्ध करा दिया गया है।
- अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं के संदर्भ में बिहार सहकारी अधिनियम, 1935 में आवश्यक संशोधन कर बिहार सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2008 लागू।
- संशोधित अधिनियम अन्तर्गत इन संस्थाओं में राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी को कुल पूंजी के 25 प्रतिशत के अन्तर्गत सीमित करते हुए शेष हिस्सा पूंजी लगभग 74.88 करोड़ रू॰ को अनुदान मद मे परिवर्त्तन।
- संशोधित अधिनियम के अनुसार सहकारी बैंकों में कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ।
- अल्पकालीन साख सहकारी संस्थाओं में समान लेखा प्रणाली / प्रबंधकीय सूचना प्रणाली लागू।
- नाबार्ड द्वारा पायलट आधार पर इन संस्थाओं को कम्प्यूटरीकृत करने की कार्रवाई अन्तिम चरण में।
- पैक्सों द्वारा प्रबंधको की नियुक्ति।
- नियुक्त प्रबंधक एवं पैक्स के प्रबंधकारिणी सदस्य का क्रमिक रूप से जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।
- पैक्सों द्वारा व्यवसाय विकास योजना प्रारम्भ।

5. सुशासन के कार्यक्रम

सुशासन के कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारिता आन्दोलन को ससक्त एवं सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :–

1. पैक्सों का सुदृढ़ीकरण :-

पैक्सों को सुदृढ़ करने हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :–

(क) भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि :-

समेकित सहकारी विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पैक्सों में भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत 805 पैक्सों में 100 मे॰टन क्षमता के गोदाम बनवाये गये। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 241 पैक्सों में गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य योजना के तहत् कृषि रोड मैप अन्तर्गत 819 पैक्सों में 200 मे॰टन प्रति पैक्स एवं 100 पैक्सों में 1000 मे॰टन प्रति पैक्स क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसी प्रकार, वर्ष 2013–14 में गत् वर्ष (2012–13) के बैकलॉग सहित कुल 1752 पैक्सों में गोदाम निर्माण कराया जाना था। इसके लिए वर्ष 2013–14 में स्वीकृत कुल 136.35 करोड़ रु॰ की राशि समितियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

(ख) पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना :-

वर्ष 2008–09 में 40 पैक्सों में एवं वर्ष 2010–11 में 58 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कुल 1284.00 लाख रू॰ उपलब्ध कराया गया है। इन 98 पैक्सों में से 59 पैक्सों में कार्य प्रारम्भ है जिसमें से 42 में पूर्ण हो गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय सहकारी विकास योजना के तहत् कृषि रोड मैप अन्तर्गत 129 पैक्सों एवं 20 व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु चयनित कर राशि स्वीकृत करते हुए क्रमिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है।

(ग) पैक्सों को जनवितरण प्रणाली से जोड़ना :-

पैक्सों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् पैक्सों को जनवितरण प्रणाली का कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त कराया गया है। अब तक 4666 समितियों को अनुज्ञप्ति निर्गत हो चुकी है।

(घ) पैक्सों को समान व्यवसाय जिसमें विशेष कर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण शामिल है, हेतु मार्जिन मनी उपलब्ध कराना :-

कृषि उत्पादन के लक्ष्यों के मद्देनजर कृषि आदानों विशेष कर उर्वरक की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित हो ताकि Peak Season में उर्वरक का संकट उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए पैक्सों को कृषि रोड मैप अन्तर्गत प्रति पैक्स 2.00 लाख रू॰ की दर से 4 प्रतिशत सूद पर माजिन मनी एन॰सी॰डी॰सी॰ से ऋण प्राप्त कर 3000 पैक्सों को उपलब्ध कराने हेतु कुल 60.00 करोड़ रू॰ की राशि स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1262 पैक्सों का चयन कर 25.24 करोड़ रू॰ की राशि क्रमिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है।

2. **व्यापार मंडलों का सुदृढ़ीकरण :-**

(क) प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन किया गया है तथा पुनर्गठन के पश्चात् सभी व्यापार मंडलों में निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल करा दिया गया है।

(ख) समेकित सहकारी विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत गोदाम निर्माण कराया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् कृषि रोड मैप अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 20 व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु चयनित कर राशि स्वीकृत किया गया है एवं क्रमिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है।

3. **मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुनर्गठन :-**

राज्य में मत्स्यपालन विकास के सम्भाव्यता के उद्देश्य से एक प्रखंड में मात्र एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन के निर्णय के तहत् एक प्रखंड में पूर्व से सहकारिता अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी अधिनियम, 1996 के तहत् गठित सभी मत्स्यजीवी सहयोग समिति को पुनर्गठित कर प्रखंड स्तर पर मात्र एक प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत् गठित किया गया है। 379 प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है। इसका गठन का उद्देश्य विभिन्न मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के बीच निरंतर चलने वाले जलकर विवाद के जड़ को समुल नष्ट कर प्रखंड के सभी मत्स्यपालकों को एक छतरी के नीचे लाकर उनका आर्थिक विकास करना है। पुनर्गठित सभी प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी समितियों में चुनाव प्राधिकार द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल करा दिया गया है।

4. **बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2011 का अधिनियमन :-**

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत् निबंधित सभी प्रकार के सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा हो, इसके लिए बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

5. सहकारी समितियों के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी पंचायत की भाँति सुनिश्चित करने हेतु क्रमांक–5, बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में कतिपय संशोधन वर्ष 2013 में किया गया।

6. **बिहार स्वावलंबी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2013 का अधिनियमन :-**

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के तहत् निबंधित सभी प्रकार की स्वावलम्बी सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन अधिनियम, 2008 के अधीन गठित

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा हो, इसके लिए बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

7. <u>बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 के प्रावधानान्तर्गत विभिन्न प्रकार के वादों का निष्पादन</u> :-

(i) बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 के प्रावधानान्तर्गत विभिन्न प्रकार के वादों की सुनवाई सक्षम प्राधिकार के स्तर से की जाती है। सम्प्रति सुनवाई हेतु एक अलग न्यायिक कक्ष की भी व्यवस्था की जा रही है तथा न्यायालय कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ii) वादों की सुनवाई की तिथि संबंधी जानकारी संबंधित पक्षों / विद्वान अधिवक्ताओं के उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर SMS के माध्यम से न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार के न्यायिक कोषांग द्वारा प्रेषित करने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि वादों की सुनवाई में और समय की मांग संबंधित पक्षों के स्तर से नहीं की जा सके, ताकि वादों का निस्तार शीघ्रता से हो सके।

उपर्युक्त व्यवस्था विभागीय Website पर सुनवाई हेतु वादों की सूची के प्रकाशन के अतिरिक्त है।

(iii) इस आलोक में वर्त्तमान निबंधक द्वारा 29.08.13 से निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का प्रभार ग्रहण किये जाने के बाद दिनांक 31.03.14 तक चल रहे कुल 653 वादों में से कुल 180 वादों का निष्पादन किया गया है।

8. <u>केन्द्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण</u> :-

पंचायत स्तर पर पैक्स, प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के पुनर्गठन के साथ–साथ इन समितियों की केन्द्रीय एवं वित्त प्रदायी संस्था जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके तहत् राज्य के 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा पूर्णियाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना से 6406.00 लाख रू॰ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया गया था। फलस्वरूप राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गया है। वैसे जिला जहाँ पूर्व से केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित नहीं है अथवा परिसमापित हैं, वैसे जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक की गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तत्काल जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक परिसमापनाधीन है उन जिलों में राज्य सहकारी बैंक की शाखा / विस्तारित शाखा कार्य कर रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू करने की कार्रवाई अन्तिम चरण में है।

9. <u>मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण</u> :-

ई–गवर्नेन्स के तहत् सहकारिता विभाग के सरकार एवं निदेशालय के कमरों को आधुनिक रूप प्रदान किया गया है साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को आधुनिक रूप प्रदान करने के निमित क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु वाहन, फर्निचर, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था की जा रही है।

10. <u>धान/गेहूँ अधिप्राप्ति</u> :-

सहकारिता विभाग राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम सरकारी समर्थन मूल्य सुलभ कराने हेतु पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस प्रकार

एक ओर जहाँ कृषकों को उनके उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है वहीं दूसरी ओर पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति व्यवसाय से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रहा है।

प्रदेश के कृषकों को खुशहाल बनाने में पैक्सों द्वारा संचालित यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

6. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों को लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण वैद्यानिक अनिवार्यता है। एतद्र्थ निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियो द्वारा सहकारी समितियों के वैद्यानिक अंकेक्षण, जाँच अंकेक्षण, सम्वर्ती अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते हैं। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि के प्रावधानों के अर्न्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकण/सत्यापन, त्रुटियों/अनियमितताओं/दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारात्मक उपायों का परामर्श देना है। विभाग में विशिष्ट श्रेणी के सहकारी समितियों के अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंन्टस का एक पैनल भी स्वीकृत है जिन्हें अंकेक्षण मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौंपा गया है।

विगत 5 वर्षों मे सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत् है –

वर्ष	अंकेक्षित सहकारी समितियों की संख्या			
	पैक्स	व्यापार मंडल	अन्य	कुल
2009–10	2327	31	64	2420
2010–11	2046	13	–	2059
2011–12	1939	11	15	1965
2012–13	1567	21	14	1602
2013–14	2373	29	205	2607

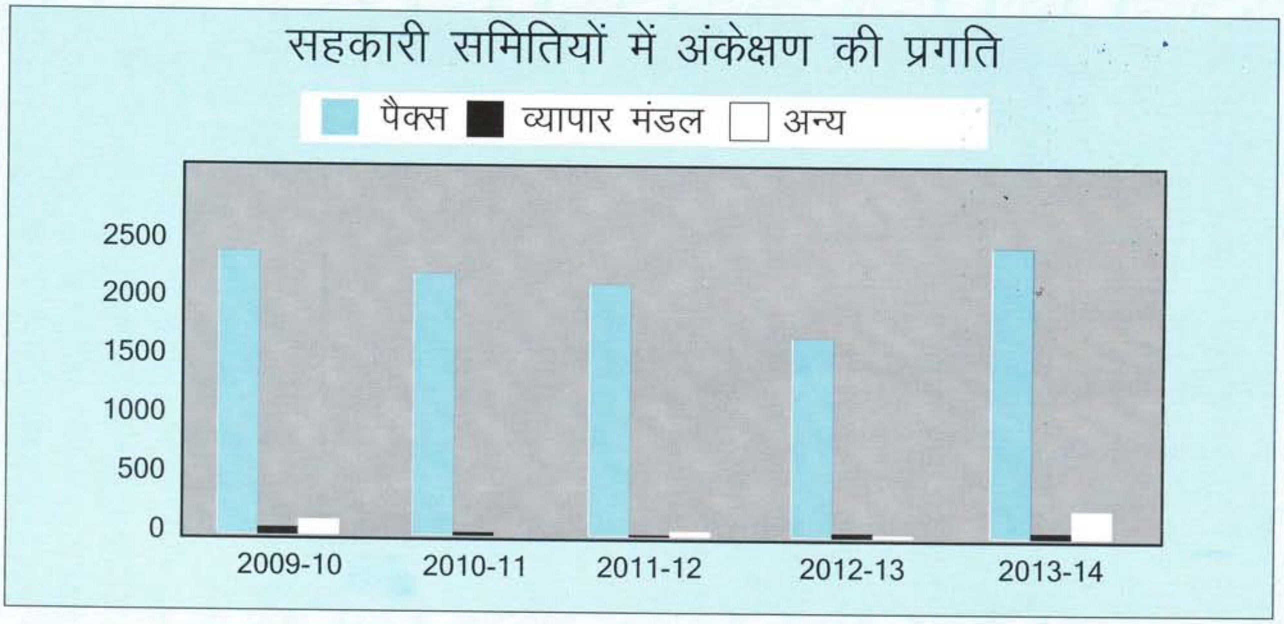

बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 की धारा–33 (यथा संशोधित, 2013) के प्रावधानों के आलोक में सहकारी समिति के लेखाओं का वैधानिक अंकेक्षण समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त, विभाग के सूचीबद्ध सनदी लेखाकार के पैनल से या निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय के अंकेक्षकों के द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।

सनदी लेखाकार पैनल के अंकेक्षको के लिए विभागीय परिपत्र के अन्तर्गत अंकेक्षण शुल्क का निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश भी निर्गत है। इस परिपत्रानुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियो का अंकेक्षण शुल्क, वार्षिक कारोवार अथवा कार्यशील पूंजी के आधार पर आकलित करने की व्यवस्था की गयी है।

बिहार सहकारी समिति नियमावली, 1959 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर समिति का अन्तिम लेखा विवरणी निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं अंकेक्षक को समर्पित कर देना है। अन्तिम लेखा विवरणी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार नहीं किये जाने की स्थिति मे निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा उसे सशुल्क तैयार कराने का भी प्रावधान है। यदि समिति जान–बूझ कर अपना लेखा एवं अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध कराने में आना–कानी करते हैं तो अधिनियम में इसे अपराध माना गया है और इस अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष के लिए कैद अथवा दो हजार रू॰ तक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिनियम, 1996 के अनुसार सहकारी समितियो को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पाँच माह के अन्दर विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग संमितियाँ को उपलब्ध कराना है जिसमें अंकेक्षित लेखा भी शामिल है। उक्त प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के अपराध में कारावास अथवा जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है।

7. महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

i) बिहार राज्य सहकारी क्रय-बिक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान)

सहकारिता प्रक्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी क्रय–बिक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान) एक शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में वर्ष 1954 से गठित है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य कृषकों को कृषि उत्पादन के कार्य में कृषि उपादान यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवायें, कृषि यंत्र आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ उनके कृषि उत्पाद का पणन, परिसंस्करण एवं भंडारण रहा है। विगत कुछ वर्षों से अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यवसायिक घाटे के कारण बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गयी थी। बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है तथा इस संस्था द्वारा भी व्यवसाय विकास हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। बिस्कोमान का कुल हिस्सा पूंजी 1970.36 लाख रू॰ है जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 1961.56 लाख रू॰ है। बिस्कोमान के पास राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2.92 लाख मे॰टन क्षमता का गोदाम सृजित है जिसमें से 1.76 लाख मे॰टन क्षमता का गोदाम किराया पर है। इसके 98 जीर्ण–शीर्ण गोदामों की मरम्मति हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में 149.00 लाख रू॰ उपलब्ध कराया गया है। बिस्कोमान टावर के 17वीं मंजिल पर संचालित **"घुमता रेस्तरां"** पूरे एशिया महादेश में अपने प्रकार का एक अनोखा रेस्तरा है।

बिस्कोमान का विगत तीन वर्षों में अर्जित आय निम्नवत् है :–

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र॰सं॰	विवरणी	2011–12	2012–13	2013–14
1	2	3	4	5
1	धान / गेंहू अधिप्राप्ति से आय	282.40	–	–
2	उर्वरक व्यवसाय से प्राप्त आय	–	0.43	–
4	जूट बीज व्यवसाय से प्राप्त आय	–	0.0409	–
5	मक्का व्यवसाय से प्राप्त आय	2.00	–	–
6	कोयला व्यवसाय से प्राप्त आय	–	–	–
7	गोदाम किराया से प्राप्त आय	1.91	4.70	4.83
8	बिस्कोमान भवन, टावर एवं एनेक्सी से प्राप्त आय	3.82	5.42	7.60

ii) बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰

सहकारिता प्रक्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰ सबसे पुरानी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था है। इसका गठन वर्ष 1917–18 में हुआ है, इसका निबंधन संख्या 210 / 1917–18 है। इस संघ का अपना भवन बुद्ध मार्ग, पटना में अवस्थित है। इस संस्था का मुख्य कार्य सहकारी शिक्षा का प्रचार–प्रसार, सहकारी सम्मेलन, सहकारिता सप्ताह का आयोजन एवं सहकारी सेमिनार आयोजित करना रहा है। यह राज्य में निबंधित सभी प्रकार के सहकारी समितियों की एक शीर्ष संस्था है। राज्य के सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी समितियाँ अनिवार्य रूप से इस संस्था के सदस्य हैं। यह संघ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, समिति के कार्यकारिणी सदस्यों एवं आम सदस्यों को शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी शिक्षा की जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ सहकारी प्रक्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं / परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों

के संबंध में प्रशिक्षित भी करती है। इस संस्था की आय का मुख्य स्रोत अपने सदस्य समितियों से वसूल की गयी लेवी है। इसके अतिरिक्त फेडरेशन हॉल, गेस्ट रूम आदि के आरक्षण से प्राप्त होने वाली राशि को भी आय का श्रोत बनाया गया है। स्टाफ की कमी के कारण लेवी की वसूली भी नहीं हो पाता है। वर्त्तमान मे इस संघ का दैनिक कार्य फेडरेशन हॉल एवं गेस्ट रूम के आरक्षण से प्राप्त आय द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

विगत चार वर्ष में संघ का उपलब्धि निम्नवत् है :–

क्रमांक	क्रियाकलाप	उपलब्धि			
		2010–11	2011–12	2012–13	2013–14 (दिसम्बर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1	फेडरेशन लेवी की वसूली	786247 रू०	282246 रू०	92277 रू०	278495.00
2	आरक्षण से आय	389972 रू०	569747 रू०	378356 रू०	126000.00

इसके अतिरिक्त इस संघ को (1.) बिहार राज्य थोक उपभोक्ता सहकारी संघ से 3000 रू० प्रतिमाह जनवरी, 2009 से (2.) बिहार राज्य सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ से 5000 रू० प्रतिमाह जनवरी,12 से (3.) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पटना से 10000 रू० प्रतिमाह मई, 12 से किराया के रूप में भी आय प्राप्त हो रहा है।

iii) बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि०

उपभोक्ता प्रक्षेत्र में यह राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थान है। इस संघ का निबंधन वर्ष 1965 में किया गया है। जिसका निबंधन संख्या– 2 पैट/1965 है। इस संस्था का मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं उपभोक्ता व्यवसाय में संलग्न व्यापार मंडलों को थोक दर पर उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति करता रहा है। संघ का कुल हिस्सा पूंजी 244.53 लाख रू० है, जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 239.57 लाख रू० है। इस संघ से लगभग राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार सम्बद्ध हैं। अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यवसायिक घाटे के कारण इस संघ का आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। फलस्वरूप इस संघ का कारोवार लगभग ठप है।

iv) केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्त परिक्षेत्र में यह केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के रूप में गठित है। इस समिति का गठन लगभग सभी पुराने अनुमंडलों में है। बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की वित्तीय स्थिति जर्जर हो जाने का कुप्रभाव केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार पर भी परिलक्षित होता है। अधिकांश केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार मृत प्रायः हो गया है।

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार के विगत चार वर्षों का कार्य कलाप एवं वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(रूपयें लाख में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2009–10	61	27430	148.32	215.48	140.11
2010–11	61	27495	148.33	214.01	132.36
2011–12	61	27502	148.35	213.11	130.42
2012–13	61	27502	148.35	213.11	NIL

v) प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय है। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का तीन वर्षों का कार्य कलाप निम्नवत् हैं :–

(रू॰लाख में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2009–10	1813	104625	41.57	139.72	120.48
2010–11	1813	104678	41.58	138.75	1116.14
2011–12	1813	104692	41.58	136.12	1110.12

vi) व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि की व्यवस्था के साथ–साथ कृषि उत्पाद का पणन रहा है। राज्य में गठित सभी व्यापार मंडल राज्य स्तर पर गठित पणन शीर्ष सहकारी संस्था (बिस्कोमान) से सम्बद्ध है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) अनिवार्य रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं। बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति जर्जर होने का कुप्रभाव व्यापार मंडल पर भी पड़ा है। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन कर लगभग प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल का गठन किया गया है। गठित व्यापार मडलों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल कर दिया गया है। वर्त्तमान में राज्य में 521 प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल गठित हैं।

विगत तीन वर्षों में व्यापार मंडल की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(रू॰लाख में)

वर्ष	व्यापार मंडल की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2009–10	391	160130	897.31	2054.32	2032.18
2010–11	391	160135	897.32	2055.48	1982.18
2011–12	521	161542	897.48	2056.12	1812.12

1. बिहार राज्य भंडार निगम

बिहार राज्य भंडार निगम "Central Warehousing Corporation Act, 1962" के तहत् गठित ग्रामीण एवं शहरी भंडारण व्यवसाय से सम्बन्धित संस्था है। अधिसूचना संख्या 3240 दिनांक 12.12.1996 द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम को सहकारिता विभाग द्वारा राज्य भंडारण एजेन्सी के रूप में अधिसूचित किया गया है। सहकारिता विभाग अन्तर्गत मात्र यही एक लोक उपक्रम है।

निगम का मुख्य कार्य कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद के साथ–साथ अन्य संस्थाओ की सामग्रियों यथा खाद्यान, खाद आदि का भंडार निगम द्वारा भंडार गृहों का निर्माण किया जाता है। इस निगम के आय का मुख्य श्रोत अपने गोदामों से प्राप्त भंडारण शुल्क एवं परिवहन तथा हाथालन शुल्क है। निगम कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के साथ–साथ कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद के भंडारण हेतु प्रशिक्षित भी करती है। निगम द्वारा भंडार गृहों के अर्जन के साथ–साथ भंडार गृहो का निर्माण भी करायी जाती है।

निगम का अधिकृत हिस्सापूँजी 10.00 करोड़ रुपये है। प्रदत्त हिस्सापूँजी 642.00 लाख है। निगम में बिहार सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम का 50–50 प्रतिशत हिस्सापूँजी निवेश है।

निगम को सहकारिता विभाग द्वारा राज्य योजना से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन हेतु पूर्व के वर्षों यथा वर्ष 2007–08 में 1929.30 लाख रू॰ एवं वर्ष 2008–09 में 374.00 लाख रू॰ उपलब्ध कराया गया है जिसके फलस्वरूप निगम द्वारा 40 हजार मे॰टन क्षमता का गोदाम बनाया गया है तथा 10000 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माणाधीन है जिसे पूर्ण करने के लिए वर्ष 2013–14 में 6.30 करोड़ रू॰ स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की उपलब्धि

- राज्य में किसानों के खाद्यान्न के अधिप्राप्ति के लिए भंडारण व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान्।
- कुल भंडारण क्षमता – 2.85 लाख मे॰ टन
-

(क) वर्ष 2012–13 में विभागीय गोदाम का निर्माण पूर्ण	10310 मे॰ टन
(ख) सात वर्षीय गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीण गोदाम निर्माण पूर्ण	35000 मे॰ टन
(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत निर्माण पूर्ण	40000 मे॰ टन
(घ) पी॰पी॰पी॰ मोड योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण	22000 मे॰ टन
(ङ) पी॰पी॰पी॰ मोड योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर	163000 मे॰ टन

- राज्य सरकार के कृषि रोड मैप योजना अन्तर्गत 2012–13 में 9 स्थलों पर कुल 2.10 लाख मे॰ टन क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 2013–14 के लिए 7 स्थलों पर कुल 1.55 लाख मे॰ टन के लिए टेंडर प्रक्रिया में।
- **व्यवसाय एवं लाभ में वृी)**

	2012-13	2013-14
कुल आय	रू॰ 8365.33 लाख	रू॰ 11086.85 लाख (अनुमानित)
लाभ	रू॰ 735.12 लाख	रू॰ 1022.26 लाख

- भंडारण शुल्क में किसानों एवं सहकारी संस्थानों को 10% से 30% तक की छूट।
- अंशधारियों यथा, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम को 20% लाभांश।

निगम का भौतिक एवं वित्तीय कार्यकलाप निम्नवत् है :-

भौतिक उपलब्धि

क्र.सं.	वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे.टन में)	आभोग (लाख मे.टन में)	आभोग का प्रतिशत	सकल आय (रू. लाख में)	लाभ (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2009—10	34.00	32.76	96	5890.95.	239.63
2	2010—11	29.00	27.00	93	6588.00	247.14
3	2011—12	31.00	26.56	86	7025.44	242.73
4	2012—13	31.99	29.40	92	8365.33	735.12
5	2013—14	34.69	31.00	90	11086.85	1022.26

वित्तीय उपलब्धि

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरणी	वर्ष		
		2011—12	2012—13	2013—14
1	2	3	4	5
1	अधिकृत हिस्सा पूंजी			
	(क) केन्द्रीय भंडार निगम	500.00	500.00	500.00
	(ख) राज्य सरकार	500.00	500.00	500.00
	(ग) कुल	1000.00	1000.00	1000.00
2	प्रदत्त हिस्सा पूँजी			
	(क) केन्द्रीय भंडार निगम	321.00	321.00	321.00
	(ख) राज्य सरकार	321.00	321.00	321.00
	(ग) कुल	642.00	642.00	642.00
3	व्यवसाय से कुल आय	7025.44	8365.33	11086.85
4	शुद्ध लाभ	242.73	735.11	1022.26
5	बैंक ऋण	0.00	0.00	0.00

निगम का भंडारण शूल्क निम्नवत् है :—

खाद्यान्न —	₹ 61.40 प्रति टन प्रति माह
उर्वरक —	₹ 45.00 प्रति टन प्रति माह
क्षेत्रफल दर —	₹ 11.06 प्रति वर्गफीट प्रति माह
सहकारी संस्थान / समिति —	10 प्रतिशत का छूट

कृषकों के कृषि उत्पाद का भंडारण — 30 प्रतिशत का छूट

परिवहन / हाथालन का एक मुस्त दर —196 प्रति टन, 15 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क

मुख्य जमाकर्त्ता

इफको, जनगणना निदेशालय, आर.सी.एफ.लि., पुस्तक निगम, बी.एस.एन.एल., शिक्षा परियाजना, भारतीय खाद्य निगम, व्यापारी, किसान, बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लि0 इत्यादि।

हिस्सा पूंजी से गोदाम का निर्माण

- मुजफ्फरपुर में 4310 मे.टन एवं कसवा जिला—पूर्णियाँ में 6000 मे.टन के गोदाम का निर्माण कार्य निगम द्वारा वर्ष 2012—13 में पूरा किया जा चुका है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

- वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजनान्तर्गत ₹ 2000.00 लाख लागत से फतुहा – 10000 मे॰टन, छपरा– 10000 मे॰टन, समस्तीपुर– 10000 मे॰टन, मोतिहारी– 5000 मे॰टन एवं मोहनियाँ में 5000 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण पूर्ण।
- वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजनान्तर्गत ₹ 630.00 लाख की लागत से आरा– 5000 मे॰टन एवं सासाराम– 5000 मे॰टन क्षमता का गोदाम का निर्माण कार्य जून, 2014 तक पूर्ण होने की संभावना है।

बिहार कृषि रोड मैप के अन्तर्गत

बिहार कृषि रोड मैप योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–17 तक निगम के लिए 10.00 लाख मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में 09 स्थलों पर कुल 2.10 लाख मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 2013–14 के लिए 07 स्थलों पर कुल 1.55 लाख मे॰टन के लिए टेंडर प्रक्रिया में है। इस योजनान्तर्गत भूखंड सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) प्रांगणों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा तथा योजना लागत का 10% सहायकी के रूप में सरकार द्वारा उपलब्ध कराने तथा ऋण के ब्याज की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

परिशिष्ट - I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex), केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर–साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदुर ग्रामीण क्षेत्रो मे गठित है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित है।
- कृषि उत्पाद का पणन एवं भंडारण के निमित पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हैतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुकुटपालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिको के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, आद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरो के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर ''धुरद'' शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित है।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित है।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोवस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

परिशिष्ट-II

राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :-

1.	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)	—	8463
2.	व्यापार मंडल सहयोग समिति	—	521
3.	सहकारी उपभोक्ता भंडार (केन्द्रीय+प्राथमिक)	—	1874
4.	प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति	—	379
5.	बचत एवं साख सहयोग समिति	—	327
6.	गृह निर्माण सहयोग समिति	—	2741
7.	औद्योगिक सहयोग समिति	—	2647
8.	विशेष प्रकार की सहकारी समिति	—	393
9.	कुकुटपालन सहयोग समिति	—	237
10.	शीत भंडार सहकारी समिति	—	50
11.	श्रमिक सहकारी समिति	—	4577
12.	ग्रामोदय सहकारी समिति	—	844
13.	महिला विकास सहयोग समिति	—	430
14.	बुनकर सहयोग समिति	—	1089
15.	फलसब्जी उत्पादक सहयोग समिति	—	342
16.	तेल उत्पादक सहयोग समिति	—	474
17.	दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	—	4279
18.	ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समिति	—	76
19.	सिंचाई सहयोग समिति	—	557
20.	संयुक्त कृषि सहयोग समिति	—	406
21.	नाव यातायात सहयोग समिति	—	89
22.	चर्मकार सहयोग समिति	—	187
23.	परिवहन सहयोग समिति	—	172
24.	सर्वोदय सहयोग समिति	—	54
25.	सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समिति	—	7887
			39095

(नोटः– पैक्स व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृत प्रायः है जिसे परिसमापित किया जा रहा है।)

परिशिष्ट-III

जिलावार सहकारी समितियों की संख्या, जिन्हें गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करायी गई									
क्र.सं.	जिला का नाम	2010–11	2011–12	2012–13			2013–14		कुल
				1000 मैं.टन.	500 मैं.टन	200 मैं.टन.	200 मैं.टन.	500 मैं.टन.	
1	बाँका	2	20	2	–	20	12	–	56
2	भागलपुर	–	2	2	2	19	4	–	29
3	समस्तीपुर	3	–	3	6	50	45	–	107
4	दरभंगा	–	–	3	1	3	30	–	37
5	मधुबनी	–	–	7	4	33	31	–	75
6	गया	–	–	–	–	32	86	9	127
7	नवादा	2	–	2	–	30	60	–	94
8	औरंगाबाद	1	38	12	10	67	20	–	148
9	जहानाबाद	–	–	–	–	15	17	–	32
10	अरवल	–	–	2	2	12	–	–	16
11	लखीसराय	5	3	1	–	11	–	–	20
12	बेगूसराय	–	5	2	4	24	10	–	45
13	मुंगेर	–	–	–	–	27	–	–	27
14	जमुई	–	–	2	7	8	37	–	54
15	शेखपुरा	–	–	1	–	18	1	–	20
16	खगड़िया	–	–	2	–	–	–	–	2
17	सीवान	20	–	2	4	20	51	–	97
18	गोपालगंज	4	–	–	5	20	–	–	29
19	सारण	–	8	–	2	17	–	3	30
20	रोहतास	10	16	5	–	40	76	4	151
21	भोजपुर	6	9	4	–	30	–	2	51
22	पटना	19	–	1	1	50	32	1	104
23	कैमूर	12	–	–	1	–	–	–	13
24	नालन्दा	8	–	8	2	–	–	2	20
25	बक्सर	–	3	–	1	28	45	–	77
26	मुजफ्फरपुर	15	7	4	7	53	53	6	145
27	बेतिया	11	–	6	–	20	39	5	81
28	वैशाली	2	–	3	1	–	–	–	6
29	मोतीहारी	–	–	5	1	20	24	–	50
30	सीतामढ़ी	–	–	1	–	20	22	1	44
31	शिवहर	–	–	–	1	–	–	–	1
32	सुपौल	–	8	4	2	21	47	2	84
33	मधेपुरा	–	–	3	3	20	19	3	48
34	सहरसा	–	–	1	–	11	55	–	67
35	पूर्णिया	–	12	5	1	20	20	–	58
36	अररिया	–	–	3	2	20	6	–	31
37	कटिहार	–	–	2	1	10	25	2	40
38	किशनगंज	–	–	2	7	30	17	–	56
	कुल–	120	131	100	78	819	884	40	2172

जिलावार सहकारी समितियों की संख्या,
जिन्हें गैसीफायर–सह–चावल मिल निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करायी गई

क्र॰सं॰	जिला का नाम	2008–09	2010–11	2012–13		2013–14		कुल
				पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	
1	बाँका	1	1	1	–	3	–	6
2	भागलपुर	2	2	2	1	4	1	12
3	समस्तीपुर	–	2	2	–	3	1	8
4	दरभंगा	–	1	1	1	2	–	5
5	मधुबनी	–	1	1	1	4	1	8
6	गया	2	2	2	–	3	–	9
7	नवादा	1	1	1	–	–	–	3
8	औरंगाबाद	3	6	7	–	5	–	21
9	जहानाबाद	1	–	1	–	3	–	5
10	अरवल	–	–	1	–	2	–	3
11	लखीसराय	–	3	1	–	2	–	6
12	बेगूसराय	–	–	1	–	–	–	1
13	मुंगेर	–	–	1	1	4	–	6
14	जमुई	–	–	2	–	4	1	7
15	शेखपुरा	–	–	2	–	3	1	6
16	खगड़िया	1	–	1	–	–	–	2
17	सीवान	3	4	2	–	3	1	13
18	गोपालगंज	–	–	3	–	4	–	7
19	सारण	–	–	1	1	1	–	3
20	रोहतास	2	3	5	1	3	–	14
21	भोजपुर	1	1	2	–	4	–	8
22	पटना	3	2	1	–	–	–	6
23	कैमूर	2	4	1	–	1	–	8
24	नालन्दा	–	3	6	1	4	–	14
25	बक्सर	2	4	2	1	2	1	12
26	मुजफ्फरपुर	3	1	2	–	4	–	10
27	बेतिया	1	4	2	1	2	–	10
28	वैशाली	2	3	3	–	2	–	10
29	मोतीहारी	3	1	3	–	2	–	9
30	सीतामढ़ी	2	3	1	–	–	–	6
31	शिवहर	–	–	1	–	3	–	4
32	सुपौल	1	1	1	–	1	1	5
33	मधेपुरा	–	2	2	–	5	–	9
34	सहरसा	–	–	1	–	3	–	4
35	पूर्णिया	–	1	2	1	3	1	8
36	अररिया	–	–	2	–	3	–	5
37	कटिहार	2	2	1	–	–	1	6
38	किशनगंज	2	–	2	–	2	1	7
	कुल	40	58	73	10	94	11	286

परिशिष्ट-IV

(विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना)

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिनके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यरत है।

निम्नांकित चार्ट से संगठनात्मक स्वरूप परिलक्षित होगा :–

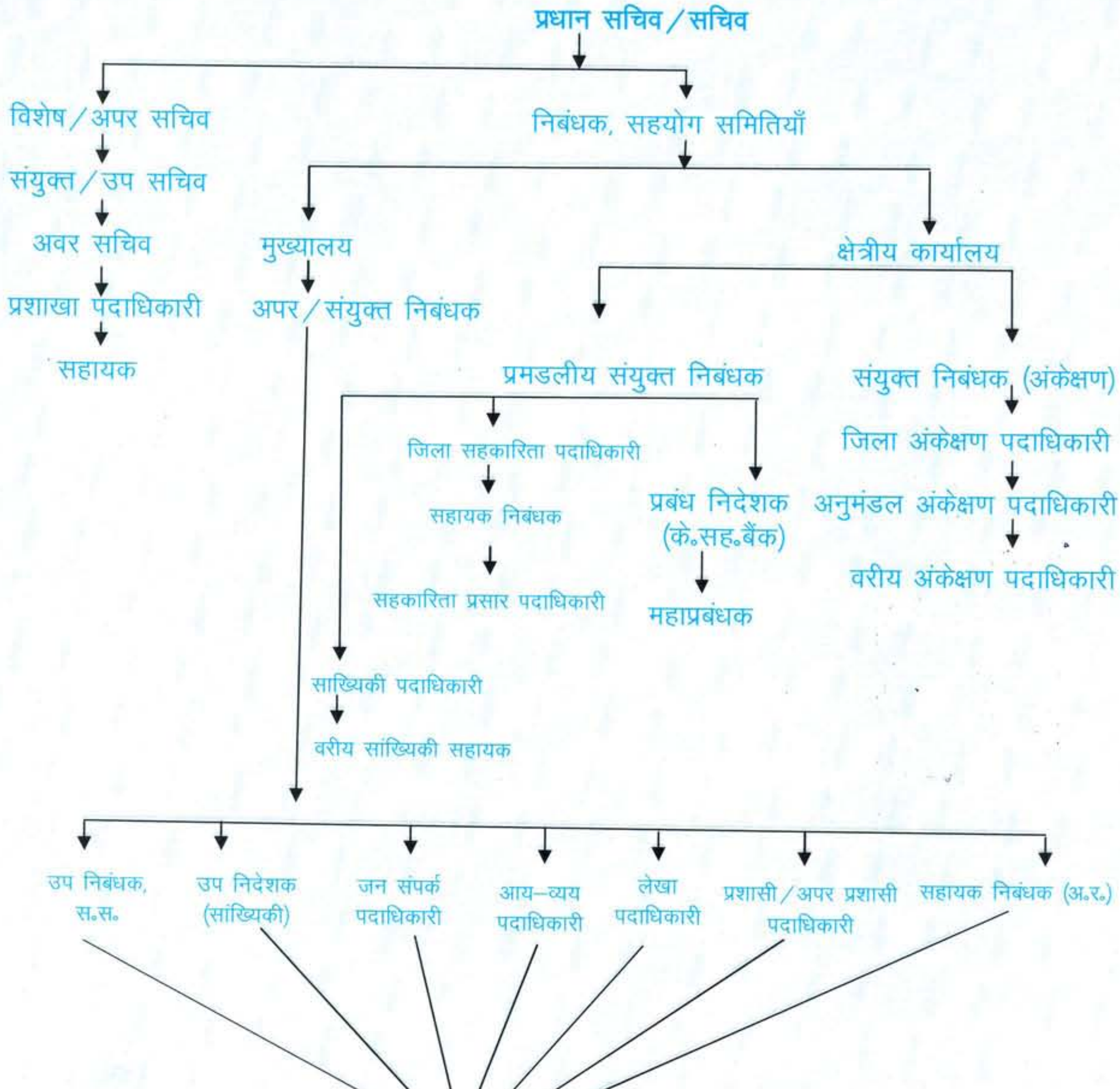

परिशिष्ट-V

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :–

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना	1 पटना सदर 2. बाढ़ 3. पटनासिटी 4. दानापुर 5. मसौढ़ी	1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना
	2. नालन्दा	6. बिहारशरीफ 7. हिलसा		2. नालंदा
	3. भोजपुर	8. आरा		3. भोजपुर
	4. बक्सर	9. बक्सर 10. डुमराँव		
	5. रोहतास	11. सासाराम 12. बिक्रमगंज		4. रोहतास
	6. कैमूर	13. कैमूर		
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया	14. गया 15. शेरघाटी	2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	5. गया
	8. जहानाबाद	16. जहानाबाद		
	9. अरवल	17. अरवल		
	10. औरंगाबाद	18. औरंगाबाद		6. औरंगाबाद
	11. नवादा	19. नवादा		7. नवादा
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुज फरपुर	12. मुजफ्फरपुर	20. मुजफ्फरपुर पूर्वी 21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी	3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	8. मुजफ्फरपुर
	13. वैशाली	22. हाजीपुर		9. वैशाली
	14. सीतामढ़ी	23. सीतामढ़ी 24. पुपरी		10. सीतामढ़ी
	15. शिवहर	25. शिवहर		
	16. मोतिहारी	26. मोतिहारी 27. सिकरहना		11. मोतिहारी
	17 बेतिया	28. बेतिया 29. बगहा		12. बेतिया
4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा	30. दरभंगा 31. बेनीपुर	4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	13. दरभंगा
	19. मधुबनी	32. मधुबनी 33. झंझारपुर 34. बेनीपट्टी		14. मधुबनी
	20. समस्तीपुर	35. समस्तीपुर 36. दलसिंहसराय 37. रोसड़ा 38. पटोरी		15. समस्तीपुर

5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	21. सारण	39. छपरा 40. सोनपुर	5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	16. सारण
	22. सिवान	41. सिवान		17. सिवान
	23. गोपालगंज	42. गोपालगंज		18. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर	43. भागलपुर 44. नवगछिया	6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	19. भागलपुर
	25. बांका	45. बांका		
	26. मुंगेर	46. मुंगेर		20. मुंगेर
	27. जमुई	47. जमुई		
	28. शेखपुरा	48. शेखपुरा		
	29. लखीसराय	49. लखीसराय		
	30. बेगूसराय	50. बेगूसराय		21. बेगूसराय
	31. खगड़िया	51. खगड़िया		22. खगड़िया
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा	52. सहरसा 53. बीरपुर 54. त्रिवेणीगंज	6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा	23. सहरसा
	33. सुपौल	55. सुपौल		
	34. मधेपुरा	56. मधेपुरा 57. उदाकिशनगंज		
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	35. पूर्णियाँ	58. पूर्णियाँ		24. पूर्णियाँ
	36. अररिया	59. अररिया		
	37. किशनगंज	60. किशनगंज		
	38. कटिहार	61. कटिहार		25. कटिहार

मिट्टी जाँच केन्द्र

1-2-12

जय सहकारिता
जय किसान
1. कृषि ऋण
3. जमा के विरूद्ध ऋण
4. बंधक ऋण
जमा
बचत खाता
सावधी खाता
दैनिक खाता